(   )................   ....अनुभाग

कार्यालय उपखंड अधिकारी, कोटा

कार्यालय टिप्पणी

अब्दुल रईस बनाम सरकार

प्रकरण संख्या - 2023/65

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 136 LR ACT

1/10/24.

पत्रावली वास्ते आदेश प्रस्तुत हुई। प्रकरण निम्न प्रकार है -

आवेदक अब्दुल रईस द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 इस बाबत प्रस्तुत किया गया कि प्रार्थी की संयुक्त खातेदारी की कृषि आराजी खसरा नं. 41/392 वाके ग्राम रामचन्द्रपुरा में स्थित है। उक्त आराजी के समीप उत्तर व दक्षिण दिशा में अन्य खातेदारान की कृषि आराजी KH.NO. 41, 40, 38, व 70 स्थित है। प्रार्थी द्वारा अपने ख.नं. में नक्शा शीट में सेटलमेन्ट द्वारा रकबा कम दिखाये जाने का प्रकरण न्यायालय SDO कोटा में पेश किया हुआ है, जो जेरकार है। इस बीच समीपवर्ती खातेदारान द्वारा न्यायालय SDO. कोटा से अपने भूमि के विभाजन हेतु राजीनामे से डिक्री 27.11.15 को पारित करवायी गई, जिसका इन्तकाल नं. 340 दिनांक 18.12.2015 दर्ज हुआ। किन्तु राजस्व कर्मचारियों द्वारा उक्त इन्तकाल का अमल करते समय सेटलमेन्ट नक्शे में त्रुटि लगातार सीमाओं को परिवर्तित कर

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

फाइल सं. प (   ) 2023/65

कार्यालय उपखंड अधिकारी, कोटा

कार्यालय टिप्पणी

दिया तथा नये खसरा न. 481/40, 482/40, 475/40 को गलत व त्रुटिपूर्ण रूप से रा.न. 41 के राजस्व नक्शे में शामिल कर दिया तथा खसरा न. 38 व 39 की स्थिति में बिना अन्य खातेदारान की ओभकारीता परिवर्तन उन्हें अन्य खातेदारी की भूमि में से हटाकर प्रार्थी की संयुक्त खातेदारी की भूमि में अंकित कर दिया गया है। उक्त परिस्थितियों में प्रार्थी द्वारा अनुरोध किया गया है कि- "सेटलमेंट संवत 2038.57 के पश्चात कायम किये गए ग्राम रामचन्द्रपुरा की नक्शा शीट में राजस्व अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा कारित की गई त्रुटि दुरुस्त की जाकर सेटलमेंट 2038.57 की नक्शा शीट में इन्तकाल न. 340 की कुल पट अनुसार कायम किये गये विभाजन के नजरी नक्शा अनुसार खसरा नं. 38, 40 व 70 व 39 के राजस्व नक्शा शीट में इन्द्राज दुरुस्त किये जावे।"

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अधीनस्थ तहसीलदार लाडपुरा से रिपोर्ट प्राप्त की गई, जो शामिल पत्रावली है।

तहसीलदार लाडपुरा द्वारा अपनी रिपोर्ट में वर्णित किया गया है कि न्यायालय SDO कोटा के निर्णय

उपखण्ड अधिकारी कोटा

( )....2023/65   ....अनुभाग

कार्यालय उपखंड अधिकारी, कोटा

कार्यालय टिप्पणी

दिनांक 27.11.2015 की पालना में इन्तकाल नं. 340 दिनांक 18.12.2015 स्वीकृत हुआ था। उपरोक्तानुसार खसरों का विभाजन स्वीकार हुआ तथा नाला. संख्या 340 की मुस्त पर तत्कालीन पटवारी द्वारा न्यायालय SDO कोटा द्वारा दिये गये आदेशानुसार नजरी नक्शा बनाया गया है। लेकिन पटवारी द्वारा सेटलमेन्ट द्वारा बनाई गुल्लाओं लाइन पर फ्लुड लगाकर गुल्लाओं/लाइन को हटाकर ग्राम रामचन्द्रपुरा के स्वीकृत नाला० संख्या 340 की मुस्त पर बने नक्शे से हटकर तरमीम की गई है। उपरोक्त तरमीम आनलाइन कार्यवाही के दौरान कार्यरत पटवारी व कानूनगो द्वारा की गई है। जिससे सेटलमेन्ट द्वारा बनाये गये नक्शे का स्वरूप ही बदल गया है। साथ ही खसरा नं. 38 व 39 की तरमीम भी गलत की गई है. नक्शा लट्ठा व आनलाइन नक्शे में ना.सं. 340 की मुस्त पर बने नक्शे से विपरित जाकर तरमीम की गई है।

हमने प्रार्थी के प्रार्थनापत्र, तहसीलदार लाडपुरा के प्रतिउत्तर का गहनता पूर्वक अध्ययन किया। अभिभाषक प्रार्थी की बहस सुनी तथा अभिभाषक प्रार्थी द्वारा दौरान बहस

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा

उपखण्ड अधिकारी कोटा

फाइल सं. प ( )......2023/65

कार्यालय उपखंड अधिकारी, कोटा

कार्यालय टिप्पणी

उठाए गए तथ्यों का पत्रावली में संलग्न रिकार्ड से प्रमाणीकरण किया।

संलग्न प्रार्थी के प्रार्थनापत्र, तहसीलदार लाडपुरा के प्रतिउत्तर तथा पत्रावली में संलग्न रिकार्ड से कुछ तथ्य स्वयंसाबित है -

- न्यायालय SDO कोटा द्वारा प्रतिवादी के आराजी के विभाजन की अन्तिम ख्यातेदारान के डिक्री दिनांक 27.11.2015 को पारित की थी।

- डिक्री दिनांक 27.11.2015 की पालना में तहसीलदार लाडपुरा द्वारा नामा.सं. 340 दिनांक 18/12/2015 स्वीकृत किया गया।

नामा.सं. 340 की पुश्त पर डिक्री अनुसार विभाजन का नक्शा बना हुआ है।

उक्त परिस्थितियों में वाद में एकमात्र निर्णायक बिन्दु यह है कि - "क्या राजस्व कार्मिकों द्वारा नक्शे में अमल करते समय सेटलमेन्ट नक्शे में परिवर्तन कर सीमाओं के साथ छेड़छाड़ की है? तथा क्या उक्त परिवर्तन से प्रार्थी प्रभावित हुआ है?"

हमने सेटलमेन्ट नक्शे (...), नामा.सं. 340 की पुश्त पर अंकित नक्शे,

उपखण्ड अधिकारी * कोटा

( ) 2023/05 .... अनुभाग

कार्यालय उपखंड अधिकारी, कोटा

कार्यालय टिप्पणी

वर्तमान राजस्व नक्शे तथा तहसीलदार रिपोर्ट का गहनतापूर्वक अध्ययन किया। सेटलमेन्ट नक्शे व वर्तमान राजस्व नक्शे के मिलान से स्पष्ट हो जाता है कि राजस्व नक्शे में डिक्री के विभाजन का अमल करते समय ख.नं. 41, 41/392, 40 की सीमाओं में परिवर्तन किया गया है तथा खसरा नं. 38 व 39 का स्थान परिवर्तित किया गया है। खसरा नं. 39 को खसरा नं. 40 के मध्य से हटाकर प्रार्थी की संयुक्त खातेदारी की आराजी ख.नं. 41/392 में अंकित कर दिया गया है. उक्त तथ्य को अप्रार्थी तहसीलदार लाडपुरा द्वारा भी अपने प्रतिउत्तर में स्वीकार किया गया है। उक्त परिस्थितियों में जबकि राजस्व नक्शे की सीमाओं में अनाधिकृत परिवर्तन किया जाना तथा प्रार्थी का उससे प्रभावित होना प्रमाणित है, इस प्रार्थी का प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाना उचित पाते हैं।

अत: प्रार्थी का प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 136 LR ACT स्वीकार कर आदेश दिये जावे

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

फाइल सं. प ( ) 2023/05

कार्यालय उपखंड अधिकारी, कोटा

कार्यालय टिप्पणी

है कि राजस्व नक्शे में SDO न्यायालय
निर्णय दिनांक 27.11.15 की पालना में
अनाधिकृत रूप से किये गए समस्त
परिवर्तनों को तुरन्त प्रभाव से निरस्त किया
जाता है तथा तहसीलदार लाड़पुरा को
आदेशित किया जाता है कि वह आदेश प्राप्ति
के अन्दर 7 दिवस स्वयं की निगरानी में SDO
न्यायालय के आदेश दिनांक 27.11.15 की पालना
के अनुरूप राजस्व नक्शे में तरमीम करवाया
जाना सुनिश्चित करें।"

खा.नं. 340 की मुख्त पर
नक्शा बने होने के बावजूद
डिक्री अनुसार नक्शा की सीमाओं में परिवर्तन व ख.नं.
राजस्व नक्शे की सीमाओं
का स्थान बदलना राजस्व कार्मिकों की गम्भीर
त्रुटि व लापरवाही की श्रेणी में आता है। राजस्व
नक्शे में बिना सक्षम आदेश अनाधिकृत रूप
से परिवर्तन करने वाले पटवारी व कानूनगो के
विरुद्ध कार्यवाही प्रस्तावित की जाती है। पटवारी
व कानूनगो के विरुद्ध कार्यवाही किए जाने के
लिए निर्णय की प्रति श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय

उपखण्ड अधिकारी कोटा

उपखण्ड अधिकारी
को

( ) 2023/65 ....अनुभाग

कार्यालय उपखंड अधिकारी, कोटा

कार्यालय टिप्पणी

कोटा को प्रेषित की जावे।

निर्णय की प्रति पालना हेतु तहसीलदार लाडपुरा को प्रेषित की जावे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

14/10/23

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा

उपखण्ड अधिकारी
कोटा